

संख्या



$\frac{4}{13}$

आमलगा उपर उपी/पत्तरी/कारमी सपर, लखनऊ।

नकल ऑर्डर दिनांक - 25/09/2021 बाबत वाप संख्या -  
06267/2021, नम्बूतरीपुत्र वाप सं- 2021/0460306267-  
धारा - 80, उत्तर प्रदेश राज्य संविदा - 2006  
शाम - सिरी परगना निर्गोला तहसील मोहनलालगंज  
जिला - लखनऊ।

421  
25/09/2021

श्री गुरु लिंग बहादुर अर्जुनदेवानल ट्रस्ट बनाम सरकार

प्रतीभापरान्त फीलिमी मिस्टर किमा जाला है।  
प्रमाणित हायाणीस संलग्न।





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर

वाद संख्या:- 06267/2021

श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- 1202110460306267

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/09/2021

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की वगवानी श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187, शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के प्राथमिक दिनांक 19.03.2020 गग साधक पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अलगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.891080 स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनतालगंज, लखनऊ जिसे वादी ने बैनामा द्वारा कृषि विभा या जो वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अधिलेख में दर्ज कागजात है तथा वादी का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादी की उपरोक्त भूमि के अलावा सात आवासीय गतिविधियां मौजूद है तथा काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहे है। वादी अपनी भूमि को आवासीय रूप में उपयोग करना चाहता है इसी उद्देश्य से वादी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी मात्रा में मौरंग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वादी काफी अर्थ से कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.891080 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनतालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

42)  
29/09/2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनतालगंज द्वारा प्रारूप-1 तथा जॉब आख्या धारा 80 के अन्तर्गत प्रथमपत्र हेतु प्रारूप निपत्र 85 के अन्तर्गत पर आख्या दिनांक 15.03.2021 प्रेषित की गई। तहसीलदार मोहनतालगंज द्वारा अपनी आख्या में अलगत कराया गया कि प्रश्रुत वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.891080 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनतालगंज, लखनऊ का वादी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादीय भूमि परती दर्ज है। प्रश्रुत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि के प्रयोग में भूमि नहीं लायी जा रही है और मौके पर निर्माण व वित्तिय बनी हुई है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की नहीं है। तहसील आख्या के साथ जो सक्बन्दी आकार पत्र-41 एवं 45, गाटा संख्या- 1237ख से सम्बन्धित व कार्यालय उप निबन्धक मोहनतालगंज जनपद लखनऊ का भार मुक्त प्रमाण पत्र तथा पत्रवली में 1359 फराली का इनाखब खसरा तथा वादीय भूमि फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा रू० 16500/- की धनराशि का बालान एवं 16500/- का स्टाम्प जमा किया गया। तहसीलदार मोहनतालगंज द्वारा वादीय भूमि गैर प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को अरुण कुमार लेखपाल, ईशार्थ क्षेत्र सिस द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि गाटा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा, तहसील मोहनतालगंज, लखनऊ के श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187, शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ सम्पूर्ण अंच के जरिए बैनामा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खाली है। वादीय भूमि जो धक आकार पत्र 41 एवं 45 में श्रीमती दिलराजा बेवा रामेश्वर नि० दयालपुर के नाम अंकित है। श्रीमती दिलराजा द्वारा वादीय भूमि जरिए बैनामा स्थानान्तरित हुई। वादीय भूमि पर कोई सहसातेदार नहीं है। निर्माण वादीय भूमि पर स्थित है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादीय भूमि महानगर योजना में वर्गीकृत नहीं है।

पत्रवली का अवलोकन व परीक्षण किया गया। प्रश्रुत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसीलदार मोहनतालगंज द्वारा अपनी आख्या में अलगत कराया गया है कि वादीय भूमि पर मौके पर निर्माण है। लेखपाल सिस द्वारा भी अपने बयान दिनांक 23.09.2021 में कहा गया है कि निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में किरी के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वाद निर्विवाद श्रेणी का है।

अतः तहसीलदार मोहनतालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.891080 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनतालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

*(Handwritten signature)*





आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 का से मुक्त करते हुए प्रश्रगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार की अप्रतिन आख्या आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित खाले/गाटे के सम्बन्ध में एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखों के साथ रखवाये जिसमें उन गाटे को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-अलग रंगों में दर्शाये। खाते में प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाइशी नक्शों और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रस्तावित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संक्रमणीय भूमिधर से निवृत्त मद में जमा बनेष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी संज्ञान में आने पर अतिरिक्त एवं फर्जी धार जाते है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखगार हो।

42  
22/09/2021

25/09/2021  
(इन्दरग)

अपर उपजिलाधिकारी सदर,  
लखनऊ।



आदेश को ज्ञापित करने का दिनांक - 22/09/2021  
 न्याय सचिव का दिनांक - 25/09/2021  
 सहायक सचिव कोष का दिनांक - 27/09/2021  
 सहायक सचिव का दिनांक - 27/09/2021  
 कोष की अंश - 27/09/2021

स्वीकृत प्रमाणावली  
  
 सचिव  
 उपजिलाधिकारी/परचय

आदेश को ज्ञापित करने का दिनांक - 22/09/2021  
 न्याय सचिव का दिनांक - 25/09/2021  
 सहायक सचिव कोष का दिनांक - 27/09/2021  
 सहायक सचिव का दिनांक - 27/09/2021  
 कोष की अंश - 27/09/2021

सचिव का दिनांक - 22/09/2021  
 न्याय सचिव का दिनांक - 25/09/2021  
 सहायक सचिव कोष का दिनांक - 27/09/2021  
 सहायक सचिव का दिनांक - 27/09/2021  
 कोष की अंश - 27/09/2021



4  
-----  
13

सभामालूम अपर उपरोक्तकीधारी सपर, लखनऊ।

42/  
23/09/2021

नकाल आदेश दिनांक:- 25/09/2021 बाबत वाप संख्या-  
06267/2021, कामभूलरीकृत वाप नं०-T202110460306267  
धारा- 80, उत्तर प्रदेश राज्यसव संदितल - 2006,  
ग्राम - सिर्सि पयगना निगोहा लदलील मोहनलसगंज  
खिला - लखनऊ।

सी धुरु लीक बहापुर सुपुकोशान्त दस्तुत वनाम सरकार

पुनोकोशान्त फीलिसी निरस्त शिभा पासल है।  
पुनोशित डामाशति संलग्न।





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर

वाद संख्या:- 06267/2021

श्री गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट वनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202110460306267

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/09/2021

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि 0 554/187, शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2020 मय रूप पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0 स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ जिसे वादी ने बेनामा द्वारा क्रय किया था जो वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज कागजात है तथा वादी का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादी की उपरोक्त भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियां मौजूद है तथा काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहे है। वादी अपनी भूमि को आवासीय रूप में उपयोग करना चाहता है इसी उद्देश्य से वादी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी मात्रा में मौरंग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वादी काफी असें से कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

421  
23/09/2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा प्रारूप-1 तथा जांच आख्या धारा 80 के अन्तर्गत प्रस्तापन हेतु प्रारूप विधाम 85 के अन्तर्गत पर आख्या दिनांक 15.03.2021 प्रेषित की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्रगत वादीय भूमि खाता संख्या 913गाटा संख्या- 17.87ख/0.8910हे0 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादीय भूमि परती दर्ज है। प्रश्रगत भूमि पर गौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और भूमि गौके पर खाती पट्टी हुई है, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि के प्रयोग में भूमि नहीं लायी जा रही है और गौके पर निर्माण व बिल्डिंग बनी हुई है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की नहीं है। तहसील आख्या के साथ जो चक्रबन्दी आकार पत्र-41 एवं 45, गाटा संख्या- 1237ख से सम्बन्धित व कार्यालय उप निबन्धक मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का भार मुक्त प्रमाण पत्र तथा पत्रावली में 1359 फसली का इन्तखाब खसरा तथा वादीय भूमि फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा रू० 16500/- की धनराशि का चलान एवं 16500/- का स्टाम्प जमा किया गया। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा वादीय भूमि गैर प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को अरूज कुमार लेखपाल, ईचार्ज क्षेत्र सिस द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि गाटा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के श्री गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि 0 554/187, शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ सम्पूर्ण अंश के जरिए बेनामा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खाती है। वादीय भूमि जो चक्र आकार पत्र-41 एवं 45 में श्रीमती दिलराजा बेवा रामेश्वर नि 0 दयालपुर के नाम अंकित है। श्रीमती दिलराजा द्वारा वादीय भूमि जरिए बेनामा स्थानान्तरित हुई। वादीय भूमि पर कोई सहखातेदार नहीं है। निर्माण वादीय भूमि पर स्थित है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादीय भूमि महानगर योजना में वर्तमान में नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्रगत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि वादीय भूमि पर गौके पर निर्माण है। लेखपाल सिस द्वारा भी अपने बयान दिनांक 23.09.2021 में कहा गया है कि निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वाद निर्विवाद श्रेणी का है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0 में स्थित ग्राम सिस परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाने विधि संगत प्रतीत होता है।



आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0में स्थित ग्राम तिसर परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्रुगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार की अद्यतन आख्या आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित खाले/गाटे के सम्बन्ध में एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखों के साथ रखवाये जिसमें उन गाटों को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-अलग रंगों में दर्शाये। खाले में प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाइशी नक्शों और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रस्तावित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संक्रमणीय भूमिधर से निपत मद में जमा कोष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी संज्ञान में आने पर अतिरिक्त एवं फर्जी पाए जाते हैं तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखगार हो।

421  
27/09/2021

25/09/2021  
(इन्द्रसेन)

अपर उपजिलाधिकारी रादर,  
लखनऊ।



अतिरिक्त सहायक जिलाधिकारी 27/09/2021  
अपर उपजिलाधिकारी का निवास 27/09/2021  
अपर जिलाधिकारी का निवास 27/09/2021  
अपर जिलाधिकारी का निवास 27/09/2021  
अपर जिलाधिकारी का निवास 27/09/2021

समाप्त प्रतिसा-  
2

सहायक जिलाधिकारी (अतिरिक्त) परगना तहसील

अतिरिक्त सहायक जिलाधिकारी 27/09/2021  
अपर उपजिलाधिकारी का निवास (माले) कोपी)  
27/09/2021